

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अम्बिकापुर, जिला सरगुजा (छ0ग0)

cmhosurguja@gmail.com

Ph No. 07774-223944

क्र0/7117 /प्रशिक्षण/2017

अम्बिकापुर, दिनांक 13/11/17

प्रति,

जिला सूचना अधिकारी  
एन0आई0सी0 अम्बिकापुर,  
जिला सरगुजा (छ0ग0)


विषय:-चयनित पुरुष बहु0 स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षार्थियों का प्रवेश आदेश  
[www.surguja.nic.in](http://www.surguja.nic.in) वेब साईट में अपलोड करने बाबत।

-0-

विषयांतर्गत लेख है कि पुरुष बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ष 2017 हेतु पात्र पुरुष अभ्यर्थियों एवं विभागीय सेवारत अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर आज दिनांक 13.11.2017 को प्रवेश आदेश जारी किया जाता है।

कृपया संलग्न सी0डी0 [www.surguja.nic.in](http://www.surguja.nic.in) वेब साईट में अपलोड करने का कष्ट करें, ताकि अभ्यर्थियों को सूचना प्राप्त हो सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

  
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)  
अम्बिकापुर, दिनांक

पृ0क्र0 / /प्रशिक्षण/2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला जन सम्पर्क अधिकारी अम्बिकापुर, जिला सरगुजा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि उपरोक्तानुसार जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अम्बिकापुर, सरगुजा (छ0ग0)

## मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ0ग0)

क्रमांक / /प्रशिक्षण/2017

अम्बिकापुर,दिनांक

### :: आदेश ::

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर के द्वारा जारी विज्ञापन में अधिसूचना क्रमांक/एफ-16-1/2001/नौ/55 रायपुर दिनांक 09.09.2011 के अनुसार **विभागीय अभ्यर्थी के रूप में पुरुष बहु.स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18** हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार शासकीय पुरुष बहु.स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में निम्न लिखित उम्मीदवार का चयन किया गया है। आप आपनी उपस्थिति प्राचार्य, पुरुष बहु0 स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र रिंग रोड, नमनाकला अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. में आदेश जारी होने के 10 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से दें। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति न देने पर आपका आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रशिक्षण में उपस्थित होने के समय निम्नलिखित शर्त पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	पता
01	श्री अशोक कुमार	श्री भीखुराम	ग्राम जरहाडीह पो0 लमगांव जिला-सरगुजा छ.ग.

### शर्त :-

01. प्रशिक्षण एक वर्ष का होगा।
02. प्रशिक्षण के दौरान शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु 250/- रुपये प्रतिमाह शिष्यावृत्ति देय होगी।
03. प्रशिक्षण में उपस्थित होने के समय सभी दस्तावेज की मूल प्रति प्राचार्य पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जमा करना होगा।
04. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति के समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
05. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
06. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण उपरान्त शासकीय सेवा में नियुक्ति देना शासन के लिये बंधनकारी नहीं होगा।
07. प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों के प्रवेश के एक माह के भीतर अनुबंध प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण काल में अनुशासन बनाये रखने, निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करने अनुबंध की शर्त पूर्ण न करने पर अनुबंध की राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। चयनित उम्मीदवारों द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की पश्चात ही शिष्यावृत्ति का भुगतान किया जावेगा।
08. प्रशिक्षण के दौरान 85% उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 10 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।
09. प्रशिक्षणार्थियों को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर छ.ग. द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. प्रशिक्षण केन्द्र में वर्तमान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को आवासीय एवं अन्य व्यवस्था स्वयं करना होगा।
11. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम हिन्दी होगा।
12. प्रवेश के समय या उसके उपरांत प्रमाण पत्रों में कभी भी जांच में कोई त्रुटि या गलत जानकारी पायी जाती है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ0ग0)

क्रमांक / / प्रशिक्षण / 2017

अम्बिकापुर ,दिनांक


**:: आदेश ::**

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर के द्वारा जारी विज्ञापन में अधिसूचना क्रमांक/एफ-16-1/2001/नौ/55 रायपुर दिनांक 09.09.2011 के अनुसार पुरुष बहु.स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2017-18 हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार शासकीय पुरुष बहु.स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र में निम्न लिखित उम्मीदवारों का चयन किया गया है। आप आपनी उपस्थिति प्राचार्य, पुरुष बहु0 स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र रिंग रोड, नमनाकला अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. में आदेश जारी होने के 10 दिवस के अंदर अनिवार्य रूप से दें। निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थिति न देने पर आपका आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। प्रशिक्षण में उपस्थित होने के समय निम्नलिखित शर्त पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

क्र0	नाम	पिता का नाम	पता
01	श्री राकेश कुमार	श्री शिवनाथ	ग्राम परसा पो. डाडगांव तह0 उदयपुर जिला सरगुजा छ.ग.
02	श्री महात्मा	श्री बाउद राम	ग्राम कंठी पो करजी दरिमा तह अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.

**शर्त :-**

01. प्रशिक्षण एक वर्ष का होगा।
02. प्रशिक्षण के दौरान शासकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु 250/- रुपये प्रतिमाह शिष्यावृत्ति देय होगी।
03. प्रशिक्षण में उपस्थित होने के समय सभी दस्तावेज की मूल प्रति प्राचार्य पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पास जमा करना होगा।
04. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति के समय जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
05. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
06. चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण उपरान्त शासकीय सेवा में नियुक्ति देना शासन के लिये बंधनकारी नहीं होगा।
07. प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों के प्रवेश के एक माह के भीतर अनुबंध प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण काल में अनुशासन बनाये रखने, निष्ठा से प्रशिक्षण प्राप्त करने अनुबंध की शर्त पूर्ण न करने पर अनुबंध की राशि वसूली की कार्यवाही की जावेगी। चयनित उम्मीदवारों द्वारा अनुबंध पत्र प्रस्तुत करने की पश्चात ही शिष्यावृत्ति का भुगतान किया जावेगा।
08. प्रशिक्षण के दौरान 85% उपस्थिति अनिवार्य होगी। प्रशिक्षण सत्र के दौरान प्रशिक्षणार्थी को 10 दिवस के अवकाश की पात्रता होगी।
09. प्रशिक्षणार्थियों को संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें रायपुर छ.ग. द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।
10. प्रशिक्षण केन्द्र में वर्तमान में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चयनित उम्मीदवारों को आवासीय एवं अन्य व्यवस्था स्वयं करना होगा।
11. प्रशिक्षण प्राप्त करने का माध्यम हिन्दी होगा।
12. प्रवेश के समय या उसके उपरांत प्रमाण पत्रों में कभी भी जांच में कोई त्रुटि या गलत जानकारी पायी जाती है तो प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।



मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अम्बिकापुर ,जिला-सरगुजा (छ0ग0)